


**राजस्थान सरकार**  
**खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग**

क्रमांक एक 17(14)खा.वि./न्याय/2010-11

**आदेश**

जयपुर, दिनांक 16.07.2021

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 02.07.2021 आबंटन सलाहकार समिति में मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों में अलवर जिले के बिन्दु 9 (ग्रामीण क्षेत्र तहसील नारायणपुर) के उपबिन्दु 2 में "श्री दिनदयाल सैनी पुत्र श्री भिठनलाल, ग्राम नारायणपुर तहसील नारायणपुर जिला अलवर" अंकित है। पिता का नाम श्री भिठनलाल को संशोधित कर इसके स्थान पर पिता का नाम श्री कन्हैयालाल पदा जावे।

  
(अलका मीणा)  
उपायुक्त एवं उप शासन सचिव

जयपुर, दिनांक 16.07.2021

क्रमांक एक 17(14)खा.वि./न्याय/2010-11

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव (प्रथम/द्वितीय), माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव (जी.बी.), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, उपायुक्त एवं उप शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय), खाद्य विभाग, जयपुर।
7. जिला कलक्टर संबंधित को प्रेषित कर लेख है कि निर्देशानुसार समस्त संबंधित को सूचित करने एवं उक्त मनोनयन का स्थानीय समाचार पत्रों में भी व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें साथ ही रिक्त उचित मूल्य दुकानों की विज्ञापित जारी कर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ करें।
8. जिला रसद अधिकारी संबंधित को प्रेषित कर लेख है कि निर्देशानुसार समस्त संबंधित को सूचित करने एवं उनके परिवय पत्र बनवाने इत्यादि अपेक्षित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
9. ए.सी.पी., खाद्य विभाग को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय पोर्टल पर आदेश अपलोड करना सुनिश्चित करें।
10. रक्षा पत्रिका।

उपायुक्त एवं उप शासन सचिव